

# वार्ड 8 व 19 भी आज से बनेगे 0 वेस्ट वार्ड

## वार्ड 7 और 17 को जीरो वेस्ट बनाने कार्य रहा सफल

### स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिला रोजगार

रतलाम 04 मार्च | कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के प्रथम चरण में वार्ड 7 व 17 में 04 मार्च को कार्य प्रारंभ किया गया जो कि नागरिकों के सहयोग से 100 प्रतिशत सफल रहा इसी सफलता को देखते हुए 5 मार्च शुक्रवार को वार्ड 8 व 19 में जीरो वेस्ट का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वार्डों की स्वच्छता हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर वार्ड में स्वच्छता संबंधी कार्य, कचरा संग्रहण वाहन आदि की जानकारी ली। इसके अलावा बैठक में बताया गया कि वार्ड क्रमांक 7 व 17 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया जो कि 100 प्रतिशत सफल रहा। वार्डों के प्रत्येक घरों से गीले एवं सूखे कचरे को दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा पृथक पृथक लिया गया जिसमें नागरिकों ने उत्साह से सहयोग किया।

नगर निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 7 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने हेतु वार्डों में दो कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के भेजे गये जहां पर स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा घर-घर जाकर गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक लेकर निगम के कचरा संग्रहण वाहन में डाला गया तथा एक स्थान पर ले जाकर महिलाओं द्वारा सूखा कचरा निकालकर गीला कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड भेजा गया। महिलाओं द्वारा सूखे कचरे से प्लास्टिक, पॉलीथीन, बॉटल सहित अन्य सामग्री पृथक कर कबाड़ी को विक्रय की गई जिसका कबाड़ी द्वारा वजन किया जाकर तय मान से दुर्गा स्व सहायता समूह की महिलाएं पुन्जीबाई, सुरजबाई, धापुबाई, बबलीबाई, जीवनबाई को राशि प्रदान की।

इसी तरह वार्ड क्रमांक 17 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने हेतु वार्डों में दो कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के भेजे गये जहां पर स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा घर-घर जाकर गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक लेकर निगम के कचरा संग्रहण वाहन में डाला गया तथा एक स्थान पर ले जाकर महिलाओं द्वारा सूखा कचरा निकालकर गीला कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड भेजा गया। ईश्वर स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सूखे कचरे से प्लास्टिक, पॉलीथीन, बॉटल सहित अन्य सामग्री पृथक कर कबाड़ी को विक्रय हेतु वजन कराया गया जिसका भुगतान कबाड़ी द्वारा कल किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाएं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रिन, ग्लबस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये हैं। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

वार्ड क्रमांक 7 व 17 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने की सफलता व नागरिकों के उत्साह को देखते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने जीरो वेस्ट वार्ड में 2 वार्ड ओर शामिल किये जिसके तहत वार्ड 8 व 19 में 05 मार्च शुक्रवार से कार्य प्रारंभ किया गया है जिसमें स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को काम मिलने के साथ वार्ड जीरो वेस्ट होकर स्वच्छ व सुन्दर बनेंगे।

वार्ड 7 व 17 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने हेतु पूर्व क्षेत्रिय पार्श्वद श्री प्रहलाद पटेल व श्रीमती अनिता कटारा ने भी घर-घर जाकर कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को समझाईश दी जिस पर नागरिकों ने उत्साह दिखाया व 100 प्रतिशत घरों से गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किया जा सका।

उक्त वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के दौरान निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, इंजीनियर श्री राजेश पाटीदार, श्री मनीष तिवारी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, वार्ड पर्यवेक्षक, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, दरोगा, आईईसी टीम के सदस्य, दुर्गा एवं ईश्वर स्व सहायता समूह की 5-5 महिलाएँ उपस्थित थीं।

वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में स्वच्छता कन्सलटेंट श्री प्रतीक मिश्रा के निर्देशन में स्वास्थ्य अधिकारी, वार्ड के इंजीनियर, वार्ड दरोगा, आईईसी टीम व स्वच्छता दीदी कार्य करेंगी जिससे कि कचरा उत्पादन स्थल पर कचरे का निष्पादन किया जा सके।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नगर को गारबेज फ्री सिटी बनाने के लिये नगर में कहीं भी कचरा स्थान नहीं बने इसका विशेष ध्यान रखा जाये तथा खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना किये जाने कार्यवाही में तेजी लाई जाये। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि सभी सड़को की स्वीपिंग कराई जाये साथ ही व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन स्वीपिंग करवाई जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सौलकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, स्वच्छता कन्सलटेंट श्री प्रतीक मिश्रा, सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, निगम सचिव श्री जसवन्त जोशी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, अनवर कुरेशी, राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, मनीष तिवारी, ब्रजेश कुशवाह, दीक्षा निजामपुरकर, सिद्धार्थ सोनी, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, श्रीमती अनिता ठाकुर, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, श्री बी.एल. चावरे, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े, उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया, श्री अनील पारा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, दरोगा आदि उपस्थित रहे।

**कविता, गायन और भाषण के माध्यम से बताया स्वच्छता का महत्व**  
**स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत शैरानीपुरा (हरिजनबस्ती) में जागरुकता कार्यक्रम**  
**के तहत क्षेत्रीय नागरिकों विशेषकर बच्चों ने लिया बढ़चढ़ कर हिस्सा**

रतलाम 04 मार्च। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने के प्रयासों के चलते आज नगर निगम पालिक की और स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें किशोरी बालिकाओं और महिलाओं ने कविता, गायन और भाषण के माध्यम से उम्दा तरीके से स्वच्छता का महत्व बताते हुए कहा कि अगर हम अपने शहर से प्यार करते हैं तो इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना चाहिए।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश उपायुक्त श्री विकास सौलकी के मार्गदर्शन में शहर के शैरानीपुरा (हरिजन बस्ती) मांगलिक भवन में आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एमके जैन और महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रभारी परियोजना अधिकारी सुश्री उषा लिम्बोदिया की उपस्थिति में हुआ। इस मौके पर भाषण, गायन, मंहदी, चित्रकला, भाषण, रांगोली सहित आधा दर्जन स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में डॉ.शहनाज सैय्यद, डॉ.पिंकी बोरीवाल, डॉ.नेहा सिंह ने अपनी सेवाएं दी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री एमके जैन ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता का सही अर्थ है कि हम अपने शरीर, मन और अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखें, क्योंकि स्वच्छता जीवन के लिए काफी लाभदायक है, स्वच्छ रहने से लोग बीमार

नहीं होंगे तथा स्वास्थ्य जीवन जी सकेंगे। तन-मन व अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का बच्चों और महिलाओं से किया। नगर निगम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के तमाम प्रयास कर रहा है, ऐसे में नागरिक भी अपना दायित्व निभाते हुए शहर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती ललिता घोसर ने किया और आभार श्रीमती परवीन खान ने माना।

## गायन, भाषण और कविता से दिया स्वच्छता का संदेश

सैकड़ों क्षेत्रीय रहवासियों विशेषकर बच्चों की मौजूदगी में आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम में बच्चों की प्रतिभा देखते ही बनती थी। इन्होंने यहां भाषण, कविता और गायन के माध्यम से स्वच्छता का महत्व यहां मौजूद महिला और पुरुषों को बताया और खूब दाद भी बटोरी। यहां निकाली गई स्वच्छता जागरुकता रैली में भी बच्चों ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम के नारे लगाए।

## पुरुस्कार पाकर खिल उठे चेहरे

कार्यक्रम के दौरान आयोजित रांगोली स्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन के लिए कु.धरा, नंदनी, खुशी और रीदा को पुरुस्कृत किया गया। इसी तरह चित्रकला में सुहाना, अलीशा माजिद, अलीशा मुज्जफर और निशांत को, मेंहदी प्रतियोगिता में गोसिया, खुशनुमा, मोबसिरा, प्रीती, माही, फाल्गुनी, इफकत को पुरुस्कृत किया गया। निबंध प्रतियोगिता के लिए साईं कुमार, यश कुमार, नबीला, राशि, भव्य सोलकी और शिखा को पुरुस्कृत किया गया।

## 20 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 8 किलो पॉलीथीन जब्त 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

रतलाम 04 मार्च । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी विक्रेता जो कि गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत विपूल, नितिन, अलकापुरी, दीपक बेकरी कस्तुरबा नगर, पर 250-250, गोपाल व दो अन्य कस्तुरबा नगर, प्रवीण, रोहित, महलवाड़ा, राजेश नगर निगम तिराहा, सुभाष कालेज रोड, शुभम्, पार्वतीबाई, दिनेश, बग्दी पर 100-100, कान्हा जाट व चार अन्य पर 50-50 रुपये का जुर्माना कर भविष्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई व लगभग 9 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फूट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारों द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुमाने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुमाना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

## अनुपस्थित 52 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 04 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 04 मार्च गुरुवार को बिना सूचना के 52 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

*वार्डवार पर्यवेक्षकों ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में करवाया सफाई का कार्य स्वच्छता कार्य में नियुक्त वार्डवार पर्यवेक्षक अपने-अपने वार्डों में प्रतिदिन भ्रमण करें प्रतिदिन की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप में अपलोड करें*

रतलाम 04 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्ध स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों अपने-अपने वार्डों में सफाई कार्य हेतु पर्यवेक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार किया जाकर प्रतिदिन के पर्यक्षण कार्य की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप में दी जाकर स्वच्छता संबंधी कार्य करवाया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों ने अपने-अपने वार्डों में भ्रमण कर जानकारी प्रस्तुत की जिसके तहत विनोबा नगर सरस्वती माता मंदिर उद्यान, ईश्वर नगर, इंदिरा नगर, विनोबा नगर मुक्तिधाम के पीछे, वार्ड क्रमांक 4 की नालियां, वार्ड क्रमांक 33 कारगिल उद्यान, वार्ड 47 सुलभ काम्पलेक्स के सामने, ग्लोबस टाउनशिप, दीनदयाल नगर, आईटीआई के आसपास, इन्द्रलोक नगर, गोकुलधाम कालोनी, बाजना बस स्टैण्ड व काशीनाथ के नोहरे में सफाई का कार्य करवाया गया। इसके अलावा इंदिरा नगर साईं मंदिर उद्यान व इन्द्रलोक नगर उद्यान में कम्पोस्ट पीट लगवाई गई।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने वार्डों में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्डों में साफ-सफाई, विशेष रूप से सड़को, नालियों की सफाई, उद्यानों की साफ-सफाई व रख-रखाव करवाना, सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेश देने वाली वॉल पेंटिंग करवाना, सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डों में साइनेज का कार्य करवाना, वार्डों में उचित दूरी पर डस्टबीन रखवाना, कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनीटरिंग करना, कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करना,

पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा ट्रेकिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाना, वार्डों में आईईसी गतिविधियां संचालित कर नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस ट्रेकिंग करवाना, थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जैविक खाद निर्माण करवाना, नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग किये जाने हेतु प्रेरित किये जाने के साथ ही अपने-अपने वार्डों चिन्हित बेस्ट पाईंट विशेष सफाई, स्वच्छता संदेश की वॉल पेंटिंग, सौन्दर्यीकरण आदि कार्य करवाये जाने के निर्देश दिये।

इसके अलावा नियुक्त पर्यवेक्षक प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 6 बजे प्रस्तुत करे व स्वच्छता के कार्य को सुगम बनाने व कार्य में गति प्रदान करने हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक व्हाट्स एप ग्रुप प्रतिदिन की रिपोर्ट अपलोड करें।

## प्रताप नगर उद्यान के पास आज लगोगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 45,21,144/- संपत्तिकर व 9,88,130/- जलकर जमा कराया

रतलाम 04 मार्च । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्प्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22,000/- व जलकर 29,280/-, तिरुपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/- व जलकर 47,595/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/- व जलकर 22,680/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/- व जलकर 55,320/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/- व जलकर 59,500/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/- व जलकर 6,71,025/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/- व जलकर 19,000/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/- व जलकर 64,780/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,92,000/- व जलकर 66,715/-, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,60,000/- व जलकर 34,340/-, लक्कड़पीठा प्याऊ के पास शिविर में संपत्तिकर 2,30,000/- व जलकर 44,230/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,07,000/- व जलकर 33,940/-, जूनि कोर्ट किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 1,84,000/- व जलकर 56,350/-, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 86,000/- व जलकर 35,140/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 45,21,144/- संपत्तिकर व 9,88,130/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक

चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

## **गंदगी करने वालो पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन**

**नागरिक भी गंदगी करने वालो की सूचना दल को दें**

रतलाम 04 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे, मनोज झांझोट, राकेश ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

## **स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा**

**709 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा**

रतलाम 04 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 04 मार्च तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 709 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 04 मार्च गुरुवार को चौमुखी पुल व दीनदयाल नगर से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र

में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

## **निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त 133 दिनों में 160 वॉल्व व 895 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण**

रतलाम 04 मार्च | शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 04 मार्च तक 159 वॉल्व व 884 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 04 मार्च गुरुवार को जवाहर नगर सी कालोनी, राम मंदिर के सामने, तेजा नगर, सखवाल नगर पाटिल स्क्रीन के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त करवाये जाने के साथ टैंकर रोड पर वॉल्व लीकेज दुरस्त करवाया गया इसके अलावा दीनदयाल नगर टंकी के समम्पवेल के मोटर पम्प का रबर बदला गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

*वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही*

रतलाम 04 मार्च | स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

# गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नागरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 04 मार्च | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाइन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

## सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 04 मार्च | रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

## कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी  
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 04 मार्च | नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्ता, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकारक कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक



भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 04.03.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.